न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री आशीष मोदी आई.ए.एस.

वाद संख्या : 02 / 129 / 15

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उनवान :

1. भागचन्द पुत्र लालजी कौम मीना निवासी रैणी तहसील रैणी
2. छुटटन पुत्र लालजी कौम मीना निवासी रैणी तहसील रैणी

.....
प्रार्थीगण

बनाम्

1. मीण्डा राम पुत्र जौहरी कौम मीना निवासी ग्राम रैणी तहसील रैणी
2. सब रजिस्टार साहब रैणी
3. श्रीमति भगवती देवी पत्नि श्री रघुवर दयाल मीना निवासी रेल्वे स्टेशन के पास राजगढ
4. श्रीमति शांति देवी पत्नि श्री गब्दुराम मीना निवासी अनावडा तहसील राजगढ
5. हेतराम पुत्र बद्री प्रसाद जाति मीना निवासी रैणी
6. श्रीमति कल्लो देवी पत्नि रामकरण जाति मीना निवासी रैणी तहसील रैणी
7. श्रीमति लाली देवी पत्नि श्री मांगेलाल कौम मीना निवासी रैणी तहसील रैणी

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

उपस्थित : 1 श्री अशोक पटेल एडवोकेट – प्रार्थीण
2 श्री गंगा प्रसाद पालीवाल एडवोकेट – अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक : 02.04.2018

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 का वास्ते निर्णय पेश हुआ। सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेंश कर निवेदन किया की हाल आराजी खसरा नम्बर 1619 / 7034 रकबा 0.05, 1697 / 0.33, 1853 / 0.85, 1854 / 0.03, 1855 / 0.50, 1857 / 1.25, 1818 / 0.85, 1859 / 7082 रकबा 0.42, 1860 / 1.50, 1863 / 0.41, 1698 / 0.31, 1889 / 3.80, 1890 / 7084 रकबा 0.37, 1872 / 0.08, 1975 / 7085 रकबा 0.15, 1976 / 0.08, 1977 / 0.08, 1978 / 0.08, 1982 / 0.30, 4621 / 0.53, 1813 / 7081 रकबा 0.80 कुल किता 21 रकबा 12.78 हैक0 वाके ग्राम रैणी तहसील रैणी में स्थित है। ग्राम रैणी विश्वेदारी का गॉव था। तथा बिश्वेदारी उन्मूलन कानून तारीख 15.11.1959 को लागू हुआ आराजी विवादित का वादी का पिता लालजी मीना खातेदार था जो 25–30 वर्ष पहले फौत हो चुका है। प्रार्थीगण मृतक लालजी के वारीस है, तथा उसकी समस्त चल–अचल सम्पति पर काबिज है। आराजी विवादित पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज है तथा काश्त करते है। यह है कि जौहरी मृतक रघुनाथ नाम व्यक्ति का दत्तक पुत्र है। रघुनाथ के फौत होने के बाद उसकी कब्जे काश्त की आराजी ग्राम रैणी का जौहरी काश्तकार हो गया। प्रतिवादी जौहरी का लडका है। यह है कि विवादित आराजी के साबिक ख0नं0 2020 से पहले 3833, 3850, 3851, 4227, 4229, 4228, 4335, 4058, 4059, 3846, 3834, 3835 कुल किता 12 रकबा 48 बीघा 8 बिस्वा थें जो वादीगण के पिता लालजी के खातेदारी में दर्ज थें।

यह है कि रघुनाथ मृतक की समस्त आराजी पर प्रतिवादी काबिज है जो आराजी लालजी के कब्जे की है उस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। यह है कि जौहरी प्रतिवादी का पिता एक चालक व्यक्ति था। ग्राम रैणी का बन्दोबस्त सम्वत् 2020 मे हुआ तो प्रतिवादी पिता जौहरी ने विवादित आराजी को बन्दोबस्त के अधिकारी व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाली तथा उक्त गलत इन्द्राज आगे की जमाबन्दियों में भी होता रहा। इसी प्रकार बन्दोवस्त सम्वत् 2046 में भी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी को अपने नाम गलत तौर पर दर्ज

करवाली गई। जबकि आराजी विवादित प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज होनी चाहिये थी। इस प्रकार का गलत इन्द्राज बन्दोबस्त विभाग को किये जाने का कोई अधिकार नही था। जिसे दुरूस्ती हेतु वाद इस्तकरारहक का न्यायालय श्रीमान के यहा पेंश किया हुआ है। प्रार्थीगण ने अपने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र हुकमईम्तनाई चन्दरोजा भी पेंश किया गया। जिस प्रार्थना पत्र को न्यायालय श्रीमान द्वारा खारीज कर दिया गया। इस पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को पाबन्द किया हुआ है कि अप्रार्थीगण आराजी विवादित को रहन बैय आदि से मुन्तकिल न करें न ही दस्तावेज मुन्तकिल का पंजीबद करायें।

अप्रार्थी संख्या 1 चालाक व्यक्ति है। जिसने दौराने दावा आराजी विवादित को अप्रार्थीगण संख्या 3 से 7 को दिनांक 20.12.2007 व 22.12.2007 को अलग–अलग बैयनामो के द्वार बेचान कर अप्रार्थीगण संख्या 2 के कार्यालय में पंजीबद करवा दिया। जिसके आधार पर इन्तकाल भी दर्ज करा लिया है। जो बैयनामें गैर कानूनी है। अब अप्रार्थीगण संख्या 3 से 7 उक्त गलत बैयनामें व इन्तकाल के आधार पर प्रार्थीगण को आराजी से जबरन बेदखल करना चाहते है तथा आराजी को दीगर जगह मुन्तकिल करना चाहते है। यदि उनके द्वारा ऐसा किया गया तो प्रार्थीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थीगण संख्या 3 से 7 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया की वो आराजी विवादित को जरिये रहन बैय आदि के दीगर जगह मुन्तकिल न करें, न ही दस्तावेज पंजीबद्व कराये। मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थीगण पर एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 04.02.2008 को अप्रार्थीगण संख्या 3 से 7 के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई की वो आराजी विवादित को मुन्तकिल नही करें न ही मुन्तकिल का दस्तावेज पंजीबद्व करायें। प्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा न करें। न ही दीगर व्यक्तियों का कब्जा करायें। प्राथीगण के कार्यकाश्त में रूकावट मजाहमत न करें। साथ में अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये तथा उनके द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र पेंश कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्य अस्वीकार करते हुये। उल्लेख किया की विवादित आराजी का खातेदार लालजी नही था। बल्कि विश्वेदारी के समय से ही रघुनाथ पुत्र दयाचन्द का कब्जाकाश्त था। रघुनाथ के कोई संतान नही होने के कारण उसके द्वारा रिति रिवाज से प्रतिवादी के पिता जौहरी को गोद लेकर अपना दंतक पुत्र बनाया था। रघुनाथ की मृत्यु के बाद विवादित आराजी विरासत में जौहरी को प्राप्त हुई। तथा जौहरी का देहान्त होने के बाद विरासत का इन्तकाल संख्या 592 प्रतिवादी मीण्डा के नाम दर्ज हुआ। तब से ही मीण्डा आराजी का खातेदार हो गया। तथा आराजी पर कब्जा कर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 3 से 7 में उक्त आराजी खरीद करली। खरीद के समय से ही आराजी पर काबिज होकर काश्ते करते चले आ रहे है। आराजी विवादित पर लालजी का कभी कब्जाकाश्त नही रहा है बल्कि रघुनाथ का कब्जा था जिसने जौहरी को गोद लिया तबसे कब्जा जौहरी का और जौहरी की मृत्यु के बाद जौहरी के लडके मीण्डया का कब्जाकाश्त रहा है। मीण्डया ने यह विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 को बेच दी और प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 काश्त करते चले आ रहे हैं तथा आज भी काश्त कर रहे हैं और सरसों की फसल बोकर काटी है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से उक्त वाद पेंश किया है। प्रतिवादी संख्या 3 से 7 में खातेदार से रजिस्ट्ररी करवाई है। कब्जा लिया है व इन्तकाल दर्ज कराया है जो सही है। इसलिये प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को कोई बेदखल नही किया जा रहा है क्योकि प्रतिवादीगण आराजी के खातेदार है व कब्जेदार है। वकील अप्रार्थीगण ने यह भी निवेदन किया कि सम्वत 2020 में जौहरी ने बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों से कोई मिलीभगत नहीं की थी। वकील अप्रार्थीगण ने यह भी बताया कि प्रतिवादीगण 3 लगायत 7 ने बाजारन दर देकर आराजी की खरीद की है व गुड फेथ में कीमत देकर रजिस्ट्री कराई है, तत्पश्चात इन्तकाल दर्ज कराया है व कब्जा लिया है। प्रतिवादीगण 3 लगायत 7 खातेदार काश्तकार है जिन्हें अपनी आराजी बेचने का पूर्ण अधिकार है। यह है कि उक्त आराजी विवादित का प्रार्थना पत्र 212

आर0टी0एक्ट0 रहन बैय न करें। श्रीमान के न्यायालय में वादीगण के प्रार्थना पत्र को खारीज किया है। जिसकी अपील न्यायालय आर0ए0ए0 अलवर में की, जो वादी ने की थी, जो भी खारीज हो गई। अब पुनः उक्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नही रहता है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस में वकील वादी ने तथ्यों को दोहराते हुए निम्न मुख्य बिन्दु उठायेः–

01. यह कि वादी के पिता लालजी का नाम जमाबन्दी सम्वत 2020 में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जौहरी कौम मीना निवासी ग्राम रैणी के द्वारा बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम दर्ज करवा ली है।
02. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 ने विवादित आराजी के कुछ भाग को दिनांक 20.12.2007 तथा दिनांक 22.12.2007 को अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 7 को जरिये बयनामा बेच दी है तथा इसका इन्तकाल भी अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 7 के नाम दर्ज करवा दिया है।

बहस में प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्यों को दोहराते हुए निम्नलिखित मुख्य बिन्दु उठाये गयेः–

01. यह कि ग्राम रैणी रिश्तेदारी का गांव था तथा विवादित आराजी पर रिश्तेदारी के समय से ही रघुनाथ पुत्र दयालचन्द का कब्जा चला आ रहा था। रघुनाथ की स्वयं कोई सन्तान न होने के कारण हस्ब रिवाज बिरादरी जौहरी (प्रतिवादी संख्या 01 का पिता) को अपना दत्तक पुत्र बना लिया था। (यह तथ्य वादी वकील द्वारा स्वीकार किया गया।)
02. यह कि रघुनाथ के फौत होने के बाद जरिये विरासत विवादित आराजी जौहरी को प्राप्त हुई तथा जौहरी के फौत होने के बाद जरिये विरासत इन्तकाल संख्या 592 प्रतिवादी मीण्डया के हक में दर्ज हुई।
03. यह कि रघुनाथ मृतक की समस्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा है ऐसा वादी ने अपने प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 5 में स्वीकार किया है।
04. यह कि विवादित आराजी का कुछ भाग प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 7 ने जरिये बयनामा बाजार दर पर क्रय की है तथा पिछले 10 वर्षों से प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 का उनकी क्रयशुदा आराजी पर कब्जा चला आ रहा है।
05. यह कि अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 7 को उक्त आराजी को जरिये बयनामा क्रय करने के दौरान वाद विचाराधीन की इत्तला नहीं थी तथा किसी भी कोर्ट द्वारा दी गई कोई निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं थी।

वादी वकील द्वारा अपने तथ्यों तथा बहस की ताईद में निम्नलिखित नजीरान पेश की गईः– आर.आर.डी. 1989 पेज 557, आर.आर.डी. पेज 651, आर.आर.डी. 1996 पेज 290, आर. आर.डी. 1995 पेज 522, आर.आर.डी. 1990 पेज 650, आर.आर.डी. 2006 पेज 82, आर.आर.डी. 2006 पेज 414, आर.आर.डी. 2005 पेज 349, आर.आर.डी. 1993 पेज 206, आर.आर.डी. 1993 पेज 694। वकील प्रतिवादी द्वारा अपने तथ्यों तथा बहस की ताईद में निम्नलिखित नजीरान पेश की गईः– आर. आर.डी. 2008 पेज 164, आर.आर.डी. 1974 पेज 446, आर.आर.डी. 1974 पेज 454, ए.आई.आर. 1977 पेज 12।

मैंने वाकुलाय फेरीकेन की बहस पर मनन किया। पत्रवाली में उपलब्ध दस्तावेज व तथ्यों तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया। वर्तमान जमाबंदी रिकॉर्ड के अनुसार अप्रार्थी 1, 3 लगायत 7 रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं, जबकि प्रार्थीगण यह कहकर आए हैं कि वादग्रस्त भूमि उनकी पुरानी खातेदारी की भूमि है। किन्तु वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थीगण का विवादित आराजी के खाते मे कहीं भी उल्लेख नहीं है। प्रार्थीगण ने अपने मूल प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या 5 में यह स्वीकार भी किया है की समस्त आराजी विवादित के मूल खातेदार रुगनाथ की समस्त आरजियात पर अप्रार्थी संख्या 1 काबिज है। जवाब अप्रार्थीगण से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 को जर्ये रैजिस्टर्ड बयनमा विक्रय की है तथा स्वयं के कब्जे के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 3 से 5 को कब्जा दिया है। वैसे भी प्रथम दृष्ट्या रिकॉर्डेड खातेदार का ही

सम्बन्धित आराजी पर कब्जा काश्त मानी जावेगी। विवादित आराजी पर कब्जे काश्त संबन्धित कोई अन्य दस्तावेज/सबूत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थीगण 3 लगायत 7 के पक्ष में निर्धारित किया जाता है।

पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2065–68 के अवलोकन पर पाया गया कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी के अप्रार्थीगण 3 लगायत 7 रिकॉर्डेड खातेदार अंकित हैं। इस स्थिति में यदि स्थायी/अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश से रिकॉर्डेड खातेदारों को पाबंद किया जाता है तो स्वयं की आरजी के उपयोग–उपभोग में उन्हे बाधा होगी। अतः सुविधा का संतुलन अप्रार्थी संख्या 3 से 7 के पक्ष में पाया जाता है। वर्तमान स्टेज पर सुविधा का संतुलन ही देखा जाएगा। विवादित भूमि के टाइटल के बाबत पक्षकाराण के अधिकारों का विनिश्चय मूल वाद में ही बाद शहादत–सबूत होगा।

वर्तमान में अप्रार्थिगण 3 लगायत 7 विवादित आराजी के रेकोर्डेड खातेदार हैं और अपनी आराजी के उपयोग उपभोग करने में स्वतंत्र हैं। यदि ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के निषेधात्मक आदेश से रिकॉर्डेड खातेदारान को पाबंद किया जाता है तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी। वकूलाय फेरीकेन द्वारा प्रार्थना पत्र में उठाए गए अन्य बिन्दुओं पर विनिश्चय मूल वाद में ही किया जा सकता है।

अतः आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी हाल खसरा नम्बर 1619/7034 रकबा 0.05, 1697/0.33, 1853/0.85, 1854/0.03, 1855/0.50, 1857/1.25, 1818/0.85, 1859/7082 रकबा 0.42, 1860/1.50, 1863/0.41, 1698/0.31, 1889/3.80, 1890/7084 रकबा 0.37, 1872/0.08, 1975/7085 रकबा 0.15, 1976/0.08, 1977/0.08, 1978/0.08, 1982/0.30, 4621/0.53, 1813/7081 रकबा 0.80 कुल किता 21 रकबा 12.78 हैक0 वाके ग्राम रैणी तहसील रैणी अस्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 04.02.2008 का प्रचलन स्थगित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी, आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)